प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 05.12.2025

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम मेः- ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा वारण्टी नाम पता रणजीत पुत्र बुधिराम निवासी झिंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 अंगद यादव।

थाना थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मेहताब आलम पुत्र नवाब अली निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 सुनील पाल, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7670 द्वारा ट्रेन से गिरने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 7670 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रासिंग सब्जी मण्डी सरैया के पास ट्रेन से गिरने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति 01. अजीत कुमार पुत्र विक्रमा प्रसाद निवासी खजुरीगवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर में घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहाय्रता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 रामदुलारे यादव, हो0चा0 पंकज पाण्डेय **।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 121 वाहनों से 1,86,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 121 वाहनों से 1,86,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत प्रत्येक अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 04.12.2025 को मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर के द्वारा प्रत्येक अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व प्रत्येक को 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
विवरणः-

मु0अ0सं0 170/1998 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता 01.दीन मोहम्मद पुत्र अली रजा 02. जुम्मन उर्फ मतलूम पुत्र अजीज 03. इकबाल पुत्र रफीक निवासीगण छितही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध प्रत्येक अभियुक्तगण को जुर्म स्वीकार के आधार पर धारा 3/5/8 सीएस एक्ट में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व प्रत्येक को 1000-1000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वदवन सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता विशाल पुत्र बाबूराम निवासी रुईहट्टा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को मेंहदावल रोडवेज के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 28.05.2025 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, का0 ओमप्रकाश।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री पंकज कुमार पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 1132/2025 धारा 2(b)(i),2(b)(xi),3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. मोहम्मद जलालुद्दीन पुत्र स्व0 हसन अली निवासी पूर्वी बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. फैय्याज पुत्र इकबाल अहमद निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 05.12.2025 को बगहिया तिराहा के पास से विधिक नियमों का पालन करते हुये गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***मोहम्मद जलालुद्दीन पुत्र स्व0 हसन अली निवासी पूर्वी बंजरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का आपराधिक इतिहास*-** मु0अ0सं0 259/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***फैय्याज पुत्र इकबाल अहमद निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का आपराधिक इतिहास*-** मु0अ0सं0 259/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*-** प्रभारी निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री ओमकार नाथ चतुर्वेदी, हे0का0 सुशील कुमार, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 बलराम यादव।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री अरविन्द कुमार शर्मा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 402/2025 धारा 108,351(3) बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सिन्टू पुत्र नाहर उर्फ पूर्णमासी निवासी ग्राम परसादीपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को सेमरियावां चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 19.11.2025 को वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना दुधारा पर वादिनी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनाँक 05.12.2025 को कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र, हे0का0 राम विनय यादव।